



95

श्री स्व. जे. लक्ष्मणनगराजी
द्वारा 18-7-17 को देखा

प्रस्तुत दिनांक
18-3-17

प्रकरण क्रं.2017-18 निगरानी

NR/निगरानी/इंदौर/भू-रा/2017/2287 प्रस्तुति दिनांक

न्यायालय माननीय मध्यप्रदेश राजस्व मंडल, ग्वालियर

मध्यप्रदेश

श्रीमती बिरिमल्लाह बी बेवा अकबर
उम्र 85 वर्ष, धंधा गृहकार्य
निवासी ग्राम सोनवाय, तह. महु,
जिला इंदौर (म.प्र.)

-- प्रार्थी

विरुद्ध

1. रामलाल पिता लखनलाल
उम्र वयस्क, धंधा नौकरी
निवासी 32, आनंद नगर, इंदौर (म.प्र.)
2. दरियावबाई पति अर्जुन
उम्र वयस्क, धंधा गृहकार्य
निवासी 32, आनंद नगर, इंदौर (म.प्र.)
3. श्यामलाल पिता लखनलाल
उम्र वयस्क, धंधा नौकरी
निवासी 32, आनंद नगर, इंदौर (म.प्र.)
4. मदन पिता छोटू
उम्र वयस्क, धंधा नौकरी
निवासी 32, आनंद नगर, इंदौर (म.प्र.)
5. जमनाबाई पति गणेश
उम्र वयस्क, धंधा गृहकार्य
निवासी 32, आनंद नगर, इंदौर (म.प्र.)
6. बबक्षु पिता लाला नायता
उम्र वयस्क, धंधा कृषि कार्य
निवासी ग्राम सोनवाय, तह. जिला इंदौर (म.प्र.)

22-8-17



-- प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959
विरुद्ध अवधि विधान अधिनियम के धारा 05 के आदेश
दिनांक 25.05.2017 प्रकरण क्रमांक 04 अपील 13-14
अनुविभागीय अधिकारी महु, जिला इंदौर मध्यप्रदेश
अविरत पेज ...2 पर

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/इंदौर/भूरा/2017/2287

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
20-2-2019	<p>आवेदक अधिवक्ता श्री वी0आर0पाटिल उपस्थित । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 22-04-2019 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।</p> <p> A. B. S.</p> <p> (मनोज गोयल) अध्यक्ष</p>	